माननीय आर. पी. *सेठी सत पाल, जे.*

चंदर भान - याचिकाकर्ता

बनाम

कलेक्टर और अन्य। - उत्तरदाता

सी. डब्ल्यू. पी. सं. 8157 of 1994

15दिसंबर, 1994

भारत का *संविधान,* 1950- अनुच्छेद 226/227—भारतीय *स्टाम्प* अधिनियम, *1899-खंड 47-ए (4)-अपील* दायर *करना-खंड* 47 *(2)* और *(3) के तहत आदेश के खिलाफ* अपील आदेश की तारीख से *30 दिनों के* भीतर *दायर की जानी चाहिए-'आदेश की* तारीख' *व्याख्या-आदेश की तारीख का अर्थ है जब ऐसा आदेश पक्षों को दिया गया है-इस तरह की सूचना की सेवा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुपालन में है।*

अभिनीर्णित किया गया कि अधिनियम की खंड 47-ए की उप-खंड 2 के संदर्भ में अवसर देना उपरोक्त खंड के तहत प्रस्तावित जांच की सूचना की सेवा के बाद ही प्राप्त किया जा सकता है।

(पैरा 4)

इसके अलावा, यह अभिनिर्णीत् किया गया कि प्रस्तावित जांच की सूचना *की सेवा* कलेक्टर द्वारा अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अनिश्चित है और केवल सूचना का प्रेषण सूचना की सेवा का विकल्प नहीं है।अन्यथा एक बार प्राधिकरण के किसी निर्णय से पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होने पर ऐसे प्राधिकरण पर कर्तव्य डाला जाता है कि वह ऐसे पक्ष के खिलाफ लगाए गए आरोपों का खंडन करने के लिए नोटिस जारी करे और इस तरह के नोटिस की सेवा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की न्यूनतम आवश्यकता के अनुपालन में होगी।

(पैरा 4)

इसके अलावा, यह अभिनिर्णीत् किया गया कि 'राजा हरीश चंद्र राज सिंह *बनाम* उप भूमि अधिग्रहण अधिकारी और एक अन्य, ए. आई. आर. 1961 एस. सी. 1500 में उच्चतम न्यायालय ने "आदेश की तारीख से" शब्दों के संदर्भ में सीमा के प्रश्न की जांच की और निर्धारित किया कि जहां किसी व्यक्ति के अधिकार किसी आदेश और परिसीमन से प्रभावित होते हैं, वहां उक्त आदेश के संदर्भ में उक्त आदेश के खिलाफ पीड़ित व्यक्ति द्वारा उपचार को लागू करने के लिए निर्धारित किया जाता है, आदेश देने का अर्थ संबंधित पक्ष को **उक्त** आदेश का वास्तविक या रचनात्मक संचार होना चाहिए।

(पैरा 5)

इसके अलावा यह अभिनिर्णीत् किया गया कि ऐसे सभी मामलों में जहां सूचना की सेवा का कोई उचित प्रमाण नहीं है, परिसीमन की अवधि को पीड़ित पक्ष की जानकारी की तारीख से शुरू माना जाएगा।

(पैरा 7)

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता *हरि पाल वर्मा।*

एस. के. कपूर, ए. ए. *जी.हरियाणा, प्रतिवादी के लिए।*

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता *हरि पाल वर्मा।*

एस. के. कपूर, ए. ए. *जी.हरियाणा, प्रतिवादी के लिए।*

निर्णय

याचिकाकर्ता अपीलीय प्राधिकरण-प्रतिवादी संख्या 3 के आदेश से व्यथित है, जिसके द्वारा उसकी अपील को समय द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज कर दिया गया था।अपील दायर करते समय, याचिकाकर्ता ने "मुख्य रूप से इस आधार पर देरी की माफी की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था कि चूंकि उसकी पत्नी बीमार हो गई थी, इसलिए वह अधिनियम द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर अपील को प्राथमिकता नहीं दे सका। उसने यह भी प्रस्तुत किया था कि उसे ठीक से सूचना नहीं दी गई थी और परिसीमन की अवधि को नोटिस जारी करने की तारीख से नहीं, बल्कि उसकी सजा की तारीख से शुरू माना जाना चाहिए।हालांकि, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश।गुड़गांव ने याचिकाकर्ता की दलीलों में से किसी को भी प्रतिग्रहण करना नहीं किया और देरी *को* माफ करने के आवेदन के साथ अपील को खारिज कर दिया।यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि याचिकाकर्ता की पत्नी की बीमारी के संबंध में कोई चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था, इसलिए उसकी बीमारी के संबंध में आरोप स्वीकार नहीं किया जा सकता। अपीलीय न्यायालय ने आगे कहा कि आदेश के पारित होने के बारे में जानकारी के संबंध में याचिकाकर्ता की याचिका को विवादित आदेश की प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन की तारीख के साथ संगत बनाने के लिए तैयार किया गया था।यह भी माना गया कि परिसीमन की अवधि आदेश की तारीख से शुरू होगी न कि जानकारी की तारीख से।

(2) भारतीय डाक टिकट अधिनियम, 1899 की खंड 47-ए (4) में कहा गया हैः

> "उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के तहत कलेक्टर के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर, जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील कर सकता है और ऐसी सभी अपीलों की सुनवाई और निपटान इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा।

(3) विद्वत अपीलीय प्राधिकारी "आदेश की तारीख" शब्दों पर जोर देने पर निहित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अधिनियम की खंड 47-ए के लागू होने के उद्देश्यों के लिए नोटिस की **सेवा** प्रासंगिक नहीं थी और पीड़ित व्यक्ति अपनी सेवा के बावजूद या मुख्य कार्यवाही में अन्य सभी परिस्थितियों में आदेश की तारीख से तीस दिनों **के** भीतर अपील दायर करने के लिए कानूनी दायित्व के तहत था।

(4) अधिनियम की खंड 47-ए की प्रयोज्यता पर हमारे सामने कोई विवाद नहीं हुआ है।उपर्युक्त खंड की उप-खंड (2) में यह प्रावधान है कि उप-खंड (1) के तहत निर्देश प्राप्त होने पर कलेक्टर से अपेक्षा की जाती है कि वह पक्षों को अपना अभ्यावेदन देने का अवसर दे और जांच करने के बाद, नियमों द्वारा निर्धारित तरीके से, संपत्ति का बाजार मूल्य निर्धारित करे जो किसी भी उपकरण/ साधन का विषय था।शुल्क की राशि में अंतर, यदि

कोई हो, शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को देय होगा। कलेक्टर भी स्वयं से संपत्ति का मूल्य निर्धारित कर सकते हैं परंतु केवल अधिनियम की खंड 17 ए की उप खंड दो के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही। अधिनियम की खंड 47-ए की उप-खंड 2 के संदर्भ में अवसर देना केवल उपरोक्त खंड के तहत प्रस्तावित जांच की सूचना की सेवा में परिवर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है।प्रस्तावित जाँच के नोटिस की सेवा कलेक्टर द्वारा अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए अनिवार्य नहीं *है और* केवल नोटिस भेजना नोटिस की सेवा का विकल्प नहीं है।अन्यथा एक बार प्राधिकरण के किसी निर्णय से पक्ष पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना होने पर ऐसे प्राधिकरण पर कर्तव्य डाला जाता है कि वह ऐसे पक्ष के खिलाफ लगाए गए आरोपों का खंडन करने के लिए नोटिस जारी करे और इस तरह के नोटिस की सेवा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की न्यूनतम आवश्यकता के अनुपालन में होगी।

(5) राजा हरीश चंद्र राज *सिंह बनाम उप भूमि अधिग्रहण* अधिकारी *और एक अन्य (1) मामले में उच्चतम* न्यायालय ने "आदेश की तारीख से" शब्दों के संदर्भ में परिसीमन के प्रश्न की जांच की और कहा कि जहां किसी व्यक्ति के अधिकार किसी आदेश और परिसीमन से प्रभावित होते हैं, वहां उक्त आदेश बनाने के संदर्भ में उक्त आदेश के खिलाफ व्यथित व्यक्ति द्वारा उपचार को लागू करने के लिए निर्धारित किया जाता है, आदेश देने का अर्थ संबंधित पक्ष को उक्त आदेश का वास्तविक या रचनात्मक संचार होना चाहिए।सेवा के सकारात्मक प्रमाण की अनुपस्थिति में में, याचिकाकर्ताओं से किसी भी कानूनी दायित्व के तहत आदेश की तारीख से तीस दिनों के[1] भीतर अपील दायर करने के लिए नहीं माना जा सकता है जैसा कि नीचे दिए गए न्यायालयों द्वारा माना गया है।

(6) पी. अप्पा राव बनाम अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, कोरापुट और अन्य (2) मामले में उड़ीसा *उच्च न्यायालय की* एक *खण्ड पीठ भी इसी तरह के* विचार व्यक्त किए थे।

(7) न तो कलेक्टर और न ही तत्काल मामले में अपीलीय प्राधिकरण ने नोटिस की वास्तविक सेवा के बारे में कोई निष्कर्ष दिया और न ही याचिकाकर्ता को नोटिस की सेवा के बावजूद कलेक्टर के सामने पेश होने का अवसर दिया।उचित सेवा के प्रमाण की अनुपस्थिति में में याचिकाकर्ता को दाखिल करने के अपने अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता जो की उसकी जानकारी में आने से शुरू हुई है। ऐसे सभी मामलों में जहां सूचना का कोई उचित प्रमाण नहीं है, परिसीमन की अवधि को पीड़ित पक्ष की जानकारी की तारीख से शुरू माना जाएगा।

(8) ऐसा प्रतीत होता है कि कलेक्टर और विद्वत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश दोनों ने कानून की गलत धारणा मान ली है, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता मामले में सुनवाई के अपने मूल्यवान अधिकार से वंचित हो गया है, जिससे उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है क्योंकि उसे उसके द्वारा खरीदी गई संपत्ति के बढ़े हुए मूल्य पर स्टाम्प शुल्क का

1 A.I.R. 1961 S.C. 1500.

भुगतान करने का निर्देश दिया गया है।इस संलग्नक में आक्षेपित आदेश, अनुबंध पी/एल और पी/2 हैं इसलिए रद्द किया जाता है।

(9) तदनुसार रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और इस याचिका में आक्षेपित आदेशों को दरकिनार कर दिया जाता है, याचिकाकर्ता को अधिनियम की खंड 47-ए के तहत उचित आदेश पारित करने से पहले सुनवाई का अवसर देने के लिए मामले को गुड़गांव के कलेक्टर को वापस भेज दिया जाता है। याचिकाकर्ता को अपने वकील द्वारा से 6 फरवरी, 1995 को कलेक्टर, गुड़गांव के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया जाता है।यदि याचिकाकर्ता निर्धारित तिथि पर कलेक्टर के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो कलेक्टर, *गुड़गांव*याचिकाकर्ता के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा और उस स्थिति में, याचिकाकर्ता उस पर सेवा न देने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाएगा।

(2) ए. आई. आर. 1975 उड़ीसा 209.

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

पारस चौधरी

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

फ़रीदाबाद, हरियाणा